यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़ नैनीताल के माह 04/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री, विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 07.03.2019 से 12.03.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान मे 04/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़, नैनीताल के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण विकास खण्ड, रामगढ़ हैं । विकास खण्ड के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि रु0 लाख में**)**

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		बचत/ समर्पण	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2012-13	192.33	192.33	1.94	1.94	00	00
2013-14	320.15	320.15	4.74	4.74	00	00
2014-15	348.96	348.96	3.82	3.82	00	00
2015-16	393.81	393.81	4.59	4.59	00	00
2016-17	352.40	352.40	5.80	5.80	00	00
2017-18	459.52	459.52	4.05	4.05	00	00
2018-19 (09/2018)	618.30	545.44	6.4	2.4	7.28	3.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष**
2012-13	NHM	5.44	35.16	30.61	9.99
2013-14		9.99	31.77	28.81	12.95
2014-15		12.95	44.43	41.67	15.71
2015-16		15.71	54.71	53.39	17.03
2016-17		17.03	52.58	63.74	5.87
2017-18		5.87	55.59	54.49	6.97
2018-19 (09/2018)		6.97	78.59	43.16	42.40

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार (NHM) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (संबन्धित चिकित्सालय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा, यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है, जिसमे 04/2012 से 02/2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़ नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2014, 06/2015, 07/2018, व 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:1- जननी सुरक्षा के योजना के अंतर्गत रू 2.96 लाख का अनियमित व्यय।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्साधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान किया जा सके एवं लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यह धनराशि ग्रामीण लाभार्थियो के लिए रू0 1400/- प्रति लाभार्थी है। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

As per the JSY guideline, cash incentive would be paid to ASHA in two instalment. 50 % of the incentive would be given as First instalment after discharge of the JSY beneficiary from the health centre provided ASHA or an equivalent worker having accompanied, stayed with the pregnant woman in the health centre for delivery; and the remaining 50% of the cash incentive would be given one month after delivery when BCG vaccine has been administered to the child and she has helped in post-natal care and registration of birth of the newborn.

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़, नैनीताल JSY के अभिलेखों एवं पंजिकाओ की समीक्षा मे पाया गया कि लेखा परीक्षा वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल प्रसव मे से ग्रामीण लाभार्थियो को सात दिन से अधिक देरी से योजना का लाभ दिये गये। लाभार्थियो का विवरण निम्न प्रकार है:

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) पंजिका से लिया गया नमूना लेखापरीक्षा जांच विवरण:

वित्तीय वर्ष	कुल प्रसव	JSY नियम विरुद्ध प्रसव के 7 दिन से अधिक की देरी से चेक जारी होने वाले लाभार्थियो की संख्या (ग्रामीण) ।
2012-13	161	28
2013-14	236	31
2014-15	98	09
2015-16	97	02
2016-17	76	18
2017-18	92	55
2018-19 (Feb)	72	69
योग	832	212

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शत-प्रतिशत प्रकरणों में JSY कार्ड प्रसव के दिन भरे गये थे तथा प्राय: लाभार्थियो को भुगतान सात से अधिक की देरी से किया गया था जिसमे 02 दिन से 34 दिन तक की देरी की गयी थी। तालिका से स्पष्ट है कि कुल 212 ग्रामीण लाभार्थियो को भुगतान प्रसव की तिथि से सात दिन से अधिक की देरी से रू0 2,96,800/- (1400*212) का भुगतान किया गया था । जो JSY गाइडलाइस के पैरा 16.1 का उल्लंघन था, प्रसव के सात दिन के बाद दिया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि डॉक्युमेंट्स उपलब्ध न होने का कारण विलंब से भुगतान किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रसव के समय ही सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी तथा भुगतान के समय दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए था, जिसे पूरा करने मे इकाई असफल रही।

जननी सुरक्षा के योजना के अंतर्गत रू 2.96 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2-- बीमा कम्पनी से समय पर प्रतिपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरुप रु. 0.32 लाख की हानि।

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 100-XXXVIII-4-2015-58/2014 TC, दिनांक 10.02.2015 में निर्देश निर्गत किए गए थे। निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में बिन्दु संख्या 5(1) वं (2) के अनुसार रुपये 50000 तक के लाभ के लिए निर्धारित प्रीमियम दर रु. 335x कुल आर.एस.बी.आई. आच्छादित परिवारों की सख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा आर. एस.बी.वाई. आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त एम.एस.बी.आई. के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या का शत प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्यालय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र रामगढ़ के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित लेखाभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त योजनान्तर्गत कुल 33 लाभार्थियों का इलाज किया गया जिसमें से मात्र 8 दावों की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की गयी, शेष 25 दावों को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया, इस प्रकार विभाग को रु. 0.32 लाख का हानि हुई।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि निरस्त दावों की धनराशि रु. 0.32 लाख की हानि का भार विभाग पर ही पड़ेगा। उत्तर से स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत रु. 0.32 लाख की हानि हुई।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- औषधियों की गुणवत्ता की जांच के बिना रू. 0.44 लाख की औषधियों को वितरित करना।

शासनादेश स° 932/xxvii-4-2014-28(8)/2012, दिनांक, 13 जुलाई 2015 के बिन्दु स° 18 के अनुसार एक समय मे क्रय की गयी विभिन्न औषधियों मे से 20 प्रतिशत औषधियों के रैंडम sample लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओ से विश्लेषण कराया जाना चाहिए, ताकि औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनो की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता firms के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधियों के 01-02 माह के भीतर सुनिश्चित कराये जाने का प्रावधान है। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री firm द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

क्रम स°	वित्तीय वर्ष	Medicine कीमत रू°	No. of Total Medicine Random Sampling
5	2016-17	12364/-	N
7	2018-19	32399/-	N
	TOTAL	**44763/-**	

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़, नैनीताल के औषधियों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त अवधि मे क्रय की गयी किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया था। क्रय की गयी औषधियो के 20 प्रतिशत के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानो से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन इकाई द्वारा नियम के विपरीत औषधियो के परीक्षण नहीं कराये गए, जो कि शासनादेश मे वर्णित नियमो के विपरीत है।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया कि भविष्य में औषधियों का परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:4- आफ रोड वाहन हेतु वाहन चालक पर रु 5,30,110 का निष्फल व्यय।

कार्यालय का वाहन सं-UP-32T-8268 दिनांक 11/07/2016 को आफ रोड हो गया था। कार्यालय में वाहन चालक का पद अगस्त, 2018 से रिक्त है, अर्थात वाहन चालक को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया, दिनांक 11/07/2016 के पश्चात वाहन मरम्मत योग्य नहीं था, परंतु वाहन चालक का पद कार्यरत था, वाहन चालक का पद जुलाई, 2016 से जुलाई, 2017 तक कार्यरत था, तथा इस दौरान वाहन चालक के वेतन भत्तों पर कुल रु 5,30110/- व्यय किये गये। वाहन ऑफ रोड के समय, जब वाहन मरम्मत योग्य नहीं था तो चालक के पद को अन्यत्र कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था। जहां पर वाहन चालक की आवश्यकता थी, परंतु वाहन चालक की अन्यत्र कार्यालय हेतु सेवायें नहीं ली गई, तथा एक वर्ष तक इकाई में बिना कार्य के वेतन भत्तों पर रु 5,30110/- व्यय किये गये, जो कि निष्फल व्यय था ।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर :1- यूजर चार्जेज़ से प्राप्त धनराशि रु 33,375 को विलंब से राजकोष में जमा किया जाना ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियमानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ज़िला हॉस्पिटल/ बेस हॉस्पिटल में यूजर चार्जेज़ से प्राप्त धनराशि को अविलंब 50% चिकित्सा प्रबंधन समिति एवं 50% को चालान द्वारा कोषागार में जमा करना चाहिये ।

इकाई के यूजर चार्जेज़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह 10/13 में प्राप्त कुल धनराशि रु 46588 थी। जिसके अनुसार 50% रु 23294 को चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में तत्काल जमा किया गया। परन्तु 50% धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई, अपितु 04 माह पश्चात 12/2/14 को कोषागार में जमा की गई। इसी प्रकार माह 11/13 में प्राप्त धनराशि रु 13903 एवं 12/13 में प्राप्त धनराशि रु 6263 के 50% को चिकित्सा प्रबंधन समिति में तत्काल जमा किया गया परन्तु 50% धनराशि राजकोष में क्रमश: रु 6252 एवं रु 3129 को भी 12/2/14 को जमा किया गया । इस प्रकार कुल धनराशि रु 33,375 को अविलंब कोषागर में जमा न करके नियम विरुद्ध कार्यालय में लंबित रखा ।

सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने कहा कि धनराशि अलमारी के लॉकर में है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम के विपरीत धनराशि को इकाई स्तर पर लंबित रखा गया। राजकोष में जमा नहीं किया गया ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0)	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।						

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) 04/2012 से 12/2012 तक user charges का विवरण

2- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य ।

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	डा॰ इंद्रजीत पांडे	MOIC	01.04.2012 से 11.07.2013
02	डा॰ जे॰एस॰ बिष्ट	MOIC	12.04.2013 से 15.12.2013
03	डा॰ राजेश गुप्ता	MOIC	16.12.2013 से 24.02.2014
04	डा॰ जी॰पी॰ पगरिया	MOIC	24.02.2014 से 25.06.2017
05	डा॰ गौरव कंडपाल	MOIC	26.06.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**,** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.